

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2014

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक यहाँ लिखें
Candidate should write his Roll No. here

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 20
No. of Printed Pages : 20

निर्णय लेखन चतुर्थ प्रश्न-पत्र JUDGMENT WRITING Fourth Paper

समय — 3:00 घण्टे
Time Allowed — 3:00 Hours

पूर्णांक — 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

SETTLEMENT OF ISSUES

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder -
10 Marks

PLAINTIFF'S PLEADINGS -

1. The case of plaintiff is that he is an owner and landlord of Municipal House No. 9 situated in Ward No. 10 Mohalla Ramtekri of Mandsaur city. He had purchased the house (which is hereinafter referred to as suit-house) from the M.P. Housing Board in the year 2005 by a registered sale-deed. The suit-house consists of a sitting-room, two bedrooms, one kitchen and one attached bathroom and toilet. He had let out the suit-house to the defendant on 01.04.06 on the monthly rent of 500 rupees for his residence. The defendant had been his class-mate in his school days. As a result of his close friendship, he had not got the rent-note executed by him. Therefore, the tenancy is oral. The tenancy begins on first day of Gregorian month and comes to end on the last day of the same month. The defendant has been irregular in payment of rent. The defendant has not so far paid him the rent from the period between 01.10.12 to 31.11.13 despite several demands made by him orally. Five to Six months prior to filing of this suit, the defendant had made substantial additions and alterations in the sitting-room without his written permission, thereby he converted the sitting-room into a shop in which his wife runs the Beauty parlour. Therefore, the value of suit-house is considerably diminished and the said act is inconsistent with the purpose for which he had let out the suit-house to the defendant. Owing to Beauty parlour in the suit-house, many people arrive every day, which disturbs the peaceful life of the neighbours. Therefore the defendant is responsible for creating nuisance.

2. Further case of the plaintiff is that he presently resides with his family members in an ancestral house situated in Mohalla Rambagh of Mandsaur city. His family consists of wife, one married son and two major college going sons. The house consists of three bed-rooms and one sitting-room. In view of the numbers of his family members, there is an acute shortage of space in the house. He therefore needs bonafidely the suit-house for the residence of his married son Pratik and his family. Within the Municipal limits of Mandsaur city, he does not have any suitable alternate residential accommodation of his own for the residence of his son Pratik's family.
3. Further case of the plaintiff is that the defendant has recently purchased a house in Mandsaur city in the name of his wife from the M.P. Housing Board. This house is most suitable for the residence of the defendant and his family members. He has terminated the tenancy of the defendant from 31.12.13 by sending a registered notice dated 22.10.13 through his advocate. The defendant had received this notice on 1.11.13. With this notice he has also demanded from the defendant the arrears of rent for the period between 01.10.12 to 31.12.13 amounting seven thousand five hundred rupees within two months from the receipt of the notice and directed the defendant to handover the vacant possession of the suit-house on 09.03.14. But the defendant had not complied with the directions given in the notice. Therefore, he has to file this suit for eviction and the recovery of arrears of rent against the defendant under provisions of M.P. Accommodation Control Act, 1961.

DEFENDANT'S PLEADINGS -

1. The defendant in his written statement denied the plaintiff averments. His case is that he regularly pays the rent of the suit-house to the plaintiff. The plaintiff does not give him

receipts of the rents. The plaintiff maintains a diary in which he makes the entries of rents being paid by him. He had already paid the plaintiff the rent till 31.12.13. Thereafter, he deposited the rent in the court as the plaintiff had refused to receive the rent from him. With the oral permission of the plaintiff, his wife runs the Beauty parlour in the sitting-room. For the change of sitting-room into the Beauty parlour he had not made any substantial additions and alterations therein. The plaintiff has wrongly stated that due to running of beauty parlour nuisance being created for the neighbours. He negotiated to the local officials of the Housing Board for the purchase of a house but could not purchase a house due to its high price that was beyond his means. The plaintiff's married son Pratik is in Government job. Presently his posting is in Ratlam, where he resides with his wife. The plaintiff has therefore made false averments in this regard in the plaint. In fact the plaintiff wants to get the suit-house vacated from him so that he can let the suit-house to any family on high rent. Upon these averments the defendant prays for the dismissal of the eviction suit with cost.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन -

- 1- वादी का मामला यह है कि वह मन्दसौर शहर के म्यूनिसिपल भवन क्रमांक 9 वार्ड नं. 10 स्थित रामटेकरी का मालिक एवं भवन स्वामी हैं। उसने यह मकान (जिसे एतद् पश्चात वादग्रस्त मकान कहा जावेगा) मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल से वर्ष 2005 में पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया था। वादग्रस्त मकान में एक बैठक कक्ष, दो शयनकक्ष, एक रसोईघर एवं एक संबद्ध स्नानगृह एवं शौचालय हैं। उसने प्रतिवादी को वादग्रस्त मकान दिनांक 01.04.06 को पाँच सौ रुपये मासिक किराये पर रहने हेतु दिया था। प्रतिवादी उसका सहपाठी स्कूल के समय रहा था। उसकी प्रतिवादी से गहरी मित्रता थी। इसलिये उसने प्रतिवादी से किराये चिट्ठी का निष्पादन नहीं कराया था। इस प्रकार किरायेदारी मौखिक है। किरायेदारी प्रत्येक

अंग्रेजी माह की प्रथम तारीख को प्रारम्भ होती है और उसी माह की अंतिम तारीख को समाप्त हो जाती है। प्रतिवादी किराया देने में अनियमित है। प्रतिवादी ने उसे दिनांक 01.10.12 से 31.11.13 तक का किराया अनेक बार मौखिक मांगने पर भी नहीं दिया। उसके द्वारा यह वाद प्रस्तुत करने के पॉच-छः माह पूर्व प्रतिवादी ने उसकी लिखित अनुमति के बगैर वादग्रस्त मकान की बैठक कक्ष में सारभूत परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करके बैठक कक्ष को एक दूकान में परिवर्तित कर दिया है, जहाँ से उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करती है। इस सारभूत परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के कारण वादग्रस्त मकान की कीमत में सारभूत कमी आई है और प्रतिवादी का यह कृत्य उसे रहवास के उद्देश्य से दिये गये वादग्रस्त मकान के प्रयोजन से ठीक विपरीत हैं। ब्यूटी पार्लर के कारण अनेक लोग आते हैं जिसके कारण वादग्रस्त मकान के पड़ोस में रहने वाले लोगों के शांतिप्रिय जीवन में विघ्न पैदा होता है। इस प्रकार प्रतिवादी न्यूसेन्स पैदा करने का जिम्मेदार है।

2— वादी का आगे मामला यह है कि वह वर्तमान में उसके परिवार के सदस्यों के साथ मन्दसौर शहर के मोहल्ला रामबाग में स्थित उसके पैतृक मकान में रह रहा है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक विवाहित पुत्र तथा दो वयस्क पुत्र हैं, जो कि कालेज में पढ़ते हैं। इस मकान में तीन शयनकक्ष व एक बैठक कक्ष हैं। उसके परिवार के सदस्यों की संख्या को देखते हुये वादग्रस्त मकान में स्थान का तीव्र अभाव है। इसलिये उसे वादग्रस्त मकान की उसके विवाहित पुत्र प्रतीक एवं उसके परिवार के रहवास हेतु सद्भावनापूर्वक आवश्यकता है। उसके पास मन्दसौर शहर की नगर पालिका क्षेत्र में कोई वैकल्पिक सुविधायुक्त स्थान उसके पुत्र प्रतीक के परिवार के निवास हेतु नहीं है।

3— वादी का आगे मामला यह है कि प्रतिवादी ने कुछ समय पूर्व मन्दसौर में उसकी पत्नी के नाम से मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल से एक मकान रहवास हेतु क्रय किया है। यह मकान उसके व उसके परिवार के रहवास हेतु उपयुक्त है। उसने प्रतिवादी की वादग्रस्त मकान में किरायेदारी दिनांक 31.12.13 से सूचना पत्र दिनांक 22.10.13 पंजीबद्ध डाक से उसके अभिभाषक के मार्फत भेजकर समाप्त कर दी है। प्रतिवादी को यह सूचना पत्र दिनांक 01.11.13 को प्राप्त हो गया है। उसने इस सूचना पत्र द्वारा प्रतिवादी से वादग्रस्त मकान का अवशेष किराया अवधि 01.10.13 से 31.12.13 जो कि सात हजार पॉच सौ रुपये होता है की अदायगी मांग सूचना पत्र मिलने की दिनांक से दो माह में करने हेतु आदेशित किया। उसने इस सूचना पत्र में प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया था कि वह वादग्रस्त

मकान का रिक्त आधिपत्य उसे दिनांक 09.03.14 या इसके पूर्व देवे। परन्तु प्रतिवादी ने सूचना पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप उसे यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध मध्य प्रदेश स्थान नियन्त्रण अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन बकाया किराये की वसूली सहित निष्कासन हेतु प्रस्तुत करना पड़ा।

प्रतिवादी के अभिवचन —

- 1— प्रतिवादी ने जवाबदावा में वादपत्र में किये गये अभिवचनों का खण्डन किया। उसका यह कहना है कि वह वादी को नियमित रूप से वादग्रस्त मकान का किराया देता है। वादी उसे किराये की रसीद नहीं देता है। वादी किराये का इन्द्राज उसके द्वारा संधारित एक डायरी में करता हैं। उसने वादी को दिनांक 31.12.13 तक का किराया अदा कर दिया है। उक्त अवधि के पश्चात् का किराया वादी ने उससे लेने से इन्कार कर दिया। इस पर से उसने यह किराया न्यायालय में जमा करा दिया है। उसने वादी की मौखिक अनुमति से वादग्रस्त मकान के बैठक कक्ष में ब्यूटी पार्लर खोला है। ब्यूटी पार्लर खोलते समय उसने बैठक कक्ष में कोई सारभूत परिवर्तन एवं परिवर्द्धन नहीं किया है। अतः वादी का यह कहना असत्य है कि उसके द्वारा ब्यूटी पार्लर खोलने से वादग्रस्त मकान की कीमत में सारभूत कमी आई है और उसका यह कृत्य उसे वादग्रस्त मकान जिस प्रयोजन से दिया गया है उसके ठीक विपरीत है। ब्यूटी पार्लर हेतु सीमित संख्या में लोग आते हैं। अतः वादी का यह कहना असत्य है कि अधिक संख्या में लोगों के आने से पड़ोसी के शांतिप्रिय जीवन में विघ्न पैदा होता है। उसने मन्दसौर में पदस्थ मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल के अधिकारियों से एक मकान क्रय करने की चर्चा की थी। परन्तु मकान की कीमत अत्यधिक होकर उसकी आर्थिक क्षमता के बाहर थी। इस कारण वह मकान क्रय नहीं कर सका। वादी का विवाहित पुत्र प्रतीक शासकीय नौकरी में है। वर्तमान में, उसकी पदस्थापना रतलाम में है जहाँ पर वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। इस संबंध में प्रतिवादी ने पूर्ण रूप से असत्य अभिवचन किये हैं। वास्तव में वादी उससे वादग्रस्त मकान येनप्रकारेण रिक्त करवाकर अधिक किराये पर अन्य परिवार को देना चाहता है। इन अभिवचनों के आधार पर प्रतिवादी ने वादी का वाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

FRAMING OF CHARGES

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under - - 10 Marks

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS

Prosecution case is that

1. On 24.10.13 at about 10 a.m. Manohar Singh, who is a chowkidar of village Banakhedi, informed Police Station Bhavgarh District Mandsaur that a badly mutilated body of a male person is lying on the bank of river of village Banakhedi. The dead body is of an unknown person. Sub-Inspector Santosh entered the information in Rojnamcha Sana No. 750 dated 24.10.13. Thereafter he reached the spot with Police force, where he saw a dead body of a person who is appeared to have been killed. Many persons of village Banakhedi also gathered at the spot. One Shyamlal identified the dead body as of Jagdish resident of village Nargsinghpura near to Banakhedi. S.I. Santosh prepared inquest report, collected from the spot plain soil & blood stained soil and seized empty bottles of country liquor, a pair of shoes and left over articles of food. He sent the dead body to primary health center, Pipliyamandi for postmortem. On 24.10.13 itself he got the postmortem report. According to which the nature of death is homicidal and the deceased was killed with sharp edged weapons. Thereafter, S.I. Santosh lodged an F.I.R. against an unknown offender. The F.I.R. was registered at Crime No. 48/13.
2. Inspector Omprakash carried out the investigation in the case. In course of investigation, he got a tip-off that Pramila, wife of deceased Jagdish, had illicit relations with Raju, the younger brother of deceased. The deceased came to know about their illicit relations and used to object by quarrelling with them. He also got a tip-off from another source that Raju had sold away

his newly purchased motor cycle at a throw-away price a couple of days before the killing of his brother Jagdish. Upon aforesaid information Inspector Omprakash interrogated Pramila and Raju thoroughly and separately. In the interrogation they confessed that they had illicit relations and Jagdish used to object their relations and used to beat Pramila badly. Therefore, they decided to kill him. Raju told him that thereafter he contracted a known criminal of his village Devkaran. He agreed to kill Jagdish on ransom of twenty five thousands rupees. In order to arrange the said money, he sold his motor cycle to Prakash at the price of thirty thousand rupees and out of which he paid twenty five thousand rupees to Devkaran. Raju further told Inspector Omprakash that thereafter Devkaran invited Jagdish to a drinks-party. Jagdish agreed to join the party. On the night of 23.10.13 and 24.10.13 Devkaran and his friend Pappusingh took Jagdish for the party to the bank of river Banakhedi, where Jagdish heavily drunk during the party. When Jagdish was heavily intoxicated, as per their preplan he (Raju) caught hold of him and Devkaran and Pappusingh killed him with axe and sickle. In order to hide the identification of the dead body of Jagdish they mutilated his face beyond recognition.

3. Inspector Omprakash on the disclosure statement of Raju, seized his blood-stained clothes from his house and a motor cycle, which was registered in his name, from Prakash. On the disclosure statement of Devkaran he seized ten thousand rupees and a blood-stained sickle from his house. On the disclosure statement of Pappu singh he seized eight thousand rupees along with a blood-stained axe from his house. Prakash identified seized notes as given by him to Raju at the time of buying of the motor cycle. Inspector Omprakash sent seized articles to the F.S.L. Sagar for chemical examinations. The F.S.L. Sagar in its reports confirmed that the blood stains on the axe and the sickle and on the clothes of the deceased and

that of Raju are of Human Blood and they belong to same group 'O'.

4. The Police filed charge-sheet against Pramila, Raju, Devkaran and Pappusingh.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये।

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन -

अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि

- 1- दिनांक 24.10.13 को प्रातः 10 बजे के करीब ग्राम बनाखेड़ी के चौकीदार मनोहर सिंह ने पुलिस स्टेशन, भावगढ़ जिला मन्दसौर को सूचित किया कि एक पुरुष व्यक्ति की क्षत-विक्षत लाश ग्राम बनाखेड़ी की नदी किनारे पड़ी है। लाश किसी अज्ञात व्यक्ति की है। उपनिरीक्षक संतोष ने यह सूचना रोजनामचा साना क्रमांक 750 दिनांक 24.10.13 में इन्द्राज की। उसके पश्चात् वह पुलिस बल के साथ मौके पर गया और उसने एक व्यक्ति की लाश देखी, जिसकी हत्या किया जाना दिखाई देता था। ग्राम बनाखेड़ी के अनेक व्यक्ति मौके पर इकट्ठे हो गये। उनमें से श्यामलाल ने शव को जगदीश निवासी ग्राम नरसिंहपुरा, जो कि ग्राम बनाखेड़ी के नजदीक है, के होने की पहचान की। उपनिरीक्षक संतोष ने मौके पर लाश पंचनामा बनाया, मौके से सादी एवं खून आलुदा मिट्टी, देशी शराब की खाली बोतलें, एक जोड़ी जूते एवं छोड़ा गया खाद्य पदार्थ जब्त किया। उसने शव को शव परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपलीयामण्डी भेजा। उसे दिनांक 24.10.13 को ही शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार मृत्यु की प्रकृति मानववध थी और मृत्यु धारदार हथियार से कारित की गई थी। इसके पश्चात् उपनिरीक्षक संतोष ने अज्ञात अपराधी के विरुद्ध अपराध की कायमी प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित करके की। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 48/13 दर्ज हुआ।
- 2- निरीक्षक ओमप्रकाश ने प्रकरण में विवेचना की। उसे मुखबिर के जरिये यह सूचना मिली की मृत जगदीश की पत्नी प्रमीला के अवैध संबंध उसके छोटे भाई राजू से हो गये थे। मृतक को उनके अवैध संबंध की जानकारी हो गई थी और वह इसका विरोध उन से झगड़ा करके करता था। उसे एक अन्य के माध्यम से यह भी जानकारी हुई की राजू ने उसके द्वारा क्रय की गई नवीन मोटर साईकल पानी के मोल जगदीश की हत्या होने के कुछ समय

पूर्व बेच दी थी। इस सूचना पर से निरीक्षक ओमप्रकाश ने प्रमीला एवं राजू से पृथक-पृथक गहरी पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके मध्य अवैध संबंध थे और जगदीश इस बात की आपत्ति लेता था। इस पर से उन्होंने उसे मार डालना तय किया था। राजू ने उसे यह भी बताया कि उसके पश्चात् उसने उनके गाँव के शातिर अपराधी देवकरण से संपर्क किया। देवकरण जगदीश को पच्चीस हजार रुपये की सुपारी लेकर मारने हेतु सहमत हुआ। उसने पैसों की व्यवस्था करने हेतु अपनी मोटर साईकल प्रकाश को तीस हजार रुपये में बेच दी और उसमें से पच्चीस हजार रुपये देवकरण को दिये थे। उसके पश्चात् देवकरण ने जगदीश को उसकी शराब पार्टी में आने को कहा। जगदीश सहमत हो गया। दिनांक 23.10.13 व 24.10.13 की रात्रि को देवकरण एवं उसका दोस्त पप्पूसिंह जगदीश को ग्राम बनाखेड़ी की नदी किनारे पार्टी करने हेतु ले गये। पार्टी में जगदीश ने खूब शराब पी। जब जगदीश शराब के गहरे नशे में था उस समय पूर्व नियोजित योजना अनुसार उसने (राजू) जगदीश को पकड़ा एवं देवकरण एवं पप्पूसिंह ने उसे कुल्हाड़ी एवं हँसिये से वार करके मार डाला। उन्होंने जगदीश के शव की पहचान मिटाने हेतु उसके चेहरे को पहचान से परे बुरी तरह से क्षत-विक्षत कर दिया।

- 3— निरीक्षक ओम प्रकाश ने राजू द्वारा दिये सूचना मेमो पर उसकी निशानदेही पर उसके घर से खून आलुदा पहनने के कपड़े एवं एक मोटर साईकल जो कि उसके नाम से पंजीबद्ध थी, प्रकाश से जब्त की। उसने देवकरण के सूचना मेमो पर उसकी निशानदेही से दस हजार रुपये एवं खून लगा हँसिया उसके घर से जब्त किया। उसने पप्पूसिंह के सूचना मेमो पर उसकी निशानदेही से आठ हजार रुपये एवं खून लगी कुल्हाड़ी उसके घर से जब्त की। प्रकाश ने नोटों की पहचान कर यह बताया कि उसने जब्त रुपये राजू को मोटर साईकल क्रय करते समय दिये थे। निरीक्षक ओमप्रकाश ने जब्त आर्टिकल विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर रासायनिक जॉच हेतु भेजे। इस प्रयोगशाला ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की कुल्हाड़ी, हँसिया, राजू से जब्त कपड़ों एवं मृतक के कपड़ों पर लगा खून मानव रक्त है और उन सबका ग्रुप 'ओ' है।

- 4— पुलिस ने प्रमीला, राजू, देवकरण एवं पप्पूसिंह के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-

- 40 Marks

Plaintiff's Pleadings :-

Ram and Shyam sons of deceased Jagdish are real brothers. They filed a suit for declaration and partition stating that survey No.120, 121, 123, 124 and 125 situated at village Brajpura Tahsil and District Chattarpur were purchased by their grandfather Ram Narayan and grandmother Santoshi Bai from one Suraj Prasad on 05.07.80. Their grandfather and grandmother died intestate. Their father Jagdish, Ramesh and Rajesh being the sons of Ram Narayan and Santoshi Bai were the only survivor after the death of their grandfather Ram Narayan and grandmother Santoshi Bai. Their father Jagdish and their mother Smt.Shanti Bai have died in an accident on 02.02.99. After the death of their parents their uncle Ramesh and Rajesh defendant No.1 and 2 have denied the share of plaintiffs in aforesaid survey numbers which were jointly owned by their father after the death of their grandfather and grandmother. Plaintiffs therefore, prayed that it be declared that they being the sons and only survivors of Jagdish are joint owner of the 1/3 (one-third) share of the aforesaid property and are entitled for partition.

Defendant's Pleadings :-

Defendant No.1 and 2 asserted in the written statement that land in disputes were purchased by their mother and father. After their death they are the only legal successor. It was pleaded that their elder brother deceased Jagdish had solemnized marriage with a Muslim woman Saba, who changed her name as Shanti. It was pleaded that Smt.Shanti Bai was not legally wedded wife of Jagdish, she was a Muslim woman and no lawful marriage was possible between Jagdish and Shanti (Saba). Plaintiffs are sons of deceased

Shanti (Saba) but they are not entitled for any share upon the property of Jagdish. As Section 5 of Hindu Marriage Act, 1955 makes it clear that a marriage may be solemnized between any two Hindus. A lawful marriage between Hindu and Muslim was not possible and in absence of such lawful marriage the sons born out of the void marriage are not entitled for any share left by the father because marriage between a Hindu and a woman professing other religion is null and void. Under the provisions of Hindu Succession Act 1956 plaintiffs are not entitled for any share or partition in the property left by their deceased father. Therefore, suit filed by plaintiffs being not maintainable be dismissed with cost.

Plaintiff's Evidence :-

PW-1 and PW-2 who are plaintiffs by their oral evidence and by producing certified copies of Khasra entries and sale-deed dated 05.07.80 proved that property was originally owned by Ram Narayan and Santoshi Bai, who died intestate by leaving their three sons namely Ramesh, Rajesh and Jagdish (since deceased) father of the plaintiffs. In their evidence PW-1 and PW-2 admitted that their deceased mother Shanti was a Muslim woman.

Defendant's Evidence :-

DW-1 and DW-2 by their oral evidence and by producing the birth certificate and matriculation mark-sheet of deceased Shanti (Saba) proved that Shanti (Saba) was originally a Muslim woman living with deceased Jagdish. It was also proved that Shanti (Saba) before or after marriage never converted to Hinduism. Plaintiffs are born out of the physical relations between Jagdish and Shanti (Saba). After the death of Ram Narayan and the Santoshi Bai the property left by them, which was their self acquired property, devolved upon their three sons namely Ramesh, Rajesh and Jagdish (since deceased).

Arguments of Plaintiff :-

They being the sons of deceased Jagdish and Shanti (Saba) are entitled for succession and have right over the property left by their deceased father.

Arguments of Defendant :-

Section 5 of the Hindu Marriage Act 1955 makes it clear that a marriage be solemnized between any two Hindus and in case marriage is not solemnized between two Hindus it is a void marriage and sons born out of such void marriage are not entitled for any share in the property under the provisions of Hindu Succession Act, 1956.

Marriage between Jagdish and Shanti (Saba) was not solemnized under the Special Marriage Act, 1954. Marriage was not solemnized after conversion in accordance with section 7 of the Hindu Marriage Act. In absence of any marriage under the Special Marriage Act of 1954 or in accordance with section 7 of the Hindu Marriage Act, 1955, Jagdish and Shanti (Saba) were not legally wedded Hindu wife and husband and such alleged marriage was even in violation of section 2(1)(c) of the HM Act of 1955. Therefore, plaintiffs are not entitled for any relief.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर विवाहक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचन :-

राम एवं श्याम सगे भाई होकर मृतक जगदीश के पुत्र हैं। उन्होंने सर्वे क्रमांक 120, 121, 123, 124 एवं 125, स्थित ग्राम ब्रजपुरा, तहसील एवं जिला छतरपुर के संबंध में घोषणा एवं विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत कर यह कथित किया कि उपरोक्त भूमियां उनके दादा रामनारायण एवं दादी संतोषीबाई ने दिनांक 05/07/1980 को सूरज प्रसाद से क्रय की थी। उनके दादा एवं दादी की मृत्यु निर्वसियती के रूप में हुई। दादा एवं दादी की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र जगदीश रमेश एवं राजेश उनके उत्तराधिकारी हुए। वादीगण के पिता जगदीश एवं मां श्रीमती शांतिबाई की दिनांक 02/02/1999 को एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है।

अपने माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त उनके चाचा रमेश एवं राजेश प्रतिवादी क्र. 1 व 2 ने उपरोक्त विवादित भूमियां, जिसके कि उसके पिता, दादा एवं दादी की मृत्यु के उपरान्त संयुक्त स्वामी थे, में वादीगण का हिस्सा होने से इन्कार कर दिया। वादीगण ने इसलिये दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि उनको मृत जगदीश के पुत्रगण होने के नाते उपरोक्त भूमियों के 1/3 भाग का संयुक्त स्वामी घोषित किया जावे तथा यह भी घोषित किया जावे कि वे उपरोक्त भूमि का बंटवारा करा पाने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादी के अभिवचन :-

अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्र. 1 व 2 ने बताया कि वादग्रस्त भूमियां उनके माता-पिता ने क्रय की थी। माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त वे लोग उनके एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी हैं। यह भी अभिवचनित किया गया कि उनके बड़े भाई जगदीश ने मुस्लिम महिला, जिसका नाम सबा था और जिसने बाद में अपना नाम शांति रख लिया था, के साथ विवाह किया था। यह भी अभिवचनित किया गया कि श्रीमती शांति बाई (सबा) जगदीश की वैध विवाहिता पत्नी नहीं थी। चूंकि वह एक मुस्लिम महिला थी अतः जगदीश एवं शांति (सबा) के मध्य विधिवत् विवाह होना सम्भव नहीं था। वादीगण मृतक शांति (सबा) के पुत्रगण होने के कारण विवादित सम्पत्ति, जो जगदीश द्वारा छोड़ी गयी है, में कोई भी हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। धारा-5 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि विवाह केवल दो हिन्दूओं के मध्य हो सकता है। एक हिन्दू और मुस्लिम के मध्य विधिवत् विवाह होना सम्भव नहीं है और विधिवत् विवाह के अभाव में शून्य विवाह से पैदा हुए पुत्रगण पिता द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति में कोई भी हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि एक हिन्दू और ऐसी महिला, जो कि अन्य धर्म को मानने वाली थी, के मध्य हुआ विवाह प्रारम्भ से ही शून्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत भी वादीगण अपने पिता द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति में कोई हिस्सा पाने अथवा विभाजन कराने के पात्र नहीं हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संधारणीय न होने से सव्यय निरस्त किया जावे।

वादी की साक्ष्य :-

वादी साक्षी क्र. 1 व 2, जो कि वादीगण हैं, ने मौखिक साक्ष्य तथा खसरा प्रविष्टियां एवं विक्रय पत्र दिनांक 05/07/1980 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर यह प्रमाणित किया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति मूलतः रामनारायण एवं संतोषीबाई की थी, जिनकी मृत्यु निर्वसियती के रूप में अपने तीन पुत्रों रमेश, राजेश एवं मृतक जगदीश, जो कि वादीगण के पिता हैं, को अपने पीछे छोड़कर हुई है। अपनी साक्ष्य

में वादी साक्षी क्र. 1 व 2 ने यह स्वीकार किया है कि उनकी मां शांति (सबा) एक मुस्लिम महिला थी।

प्रतिवादी की साक्ष्य :-

प्रतिवादी क्र. 1 व 2 ने अपनी मौखिक साक्ष्य द्वारा तथा मृतिका शांति (सबा) के जन्म प्रमाण पत्र एवं मेट्रिकुलेशन की अंकसूची प्रस्तुत कर यह प्रमाणित किया है कि शांति (सबा) मूलतः एक मुस्लिम महिला थी, जो जगदीश के साथ रह रही थी। यह भी प्रमाणित किया कि शांति (सबा) ने विवाह के पूर्व अथवा पश्चात् में स्वयं को हिन्दूत्व में परिवर्तित नहीं किया था। वादीगण, जगदीश एवं शांति (सबा) के मध्य हुए शारीरिक संबंधों से उत्पन्न हुए हैं। रामनारायण एवं संतोषी बाई द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति उनकी स्व-अर्जित सम्पत्ति है, जो उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके तीन पुत्रों रमेश, राजेश एवं मृतक जगदीश को प्राप्त हुई।

तर्क वादी :-

वह मृतक जगदीश एवं शांति (सबा) के पुत्र होने के कारण उत्तराधिकारी के रूप में अपने मृत पिता द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति अधिकार रूप में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

तर्क प्रतिवादी :-

धारा-5 हिन्दू विवाह अधिनियम यह स्पष्ट प्रावधानित करता है कि केवल दो हिन्दूओं के मध्य विवाह हो सकता है और यदि दो हिन्दूओं के मध्य विवाह नहीं होता है तो ऐसा विवाह शून्य है और ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्रों को हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पत्ति में कोई भी हिस्सा अथवा अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

जगदीश एवं शांति (सबा) के मध्य हुआ विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत भी नहीं हुआ था। जगदीश एवं शांति (सबा) का विवाह सबा द्वारा हिन्दूत्व में धर्म परिवर्तन करने के उपरान्त धारा-7 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं हुआ था। 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अभाव में हुआ कोई विवाह तथा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा-7 के विपरीत हुए विवाह से शांति (सबा) को जगदीश की वैध विवाहिता हिन्दू पत्नी एवं पति नहीं माना जा सकता है और ऐसा विवाह धारा-2(1)(सी) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के उल्लंघन में होने से वादीगण किसी सहायता के अधिकारी नहीं है।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

- Q.4** Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given here under by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law. - 40 Marks

Prosecution Case :-

Prosecution case is that the deceased 'A' was married to accused 'Z' about two years before the incident. At the time of marriage, father of deceased 'B' spent a lot of money, but accused's family was not happy with the dowry given by the 'B'. 'A' was tortured and continuously harassed. She had, however, no grievance against her father in law. He (Father in Law) had assured deceased 'A' and her father 'B' that he would do his best to see that she is not harassed for not bringing dowry.

Child was delivered by 'A' at her maternal home after that she came to her matrimonial home. A few days prior to incident which took place on 10.10.2013 her uncle 'C' visited her. She made complaint about the harassment meted out to her, by her husband 'Z' and mother in law 'X'. 'C' conveyed the same to his brother. On 11.10.2013 his nephew 'D' was going to some place. 'B' asked him to go his daughter's home. 'D' went to the deceased's home. On reaching the house of deceased 'A', he inquired about deceased. But no response was made, but later on, he was informed that she had died due to illness and the dead body has been cremated. 'D' came back to his village and informed 'B', then 'B' went to the deceased's village and Panchayat was held. Accused's family accepted the purporated mistake that they should have informed 'B' about the death of her daughter. It was agreed that some lands would be settled in the name of the son of deceased. On 13.10.2013 a first information report was lodged by 'B'. After investigation challan was filed in the court, where upon cognizance was taken by the court.

Defence Plea :-

It was submitted that no demand of dowry was made. Deceased was ill and she died due to it. "Z" informed the death of deceased to his father in law, but he did not come. He did not commit the offence. "X" is also innocent.

Evidence for prosecution :-

PW-1 "B" father of the deceased, deposed that he gave to his daughter at the time of her marriage articles beyond his capacity, but "X" and "Z" were not pleased with the amount of dowry, therefore they used to harass "A". One day prior to the death, his brother "C" had gone to the deceased's home and met her. He had informed him about the beating and harassment to his daughter. He supports the FIR.

PW-2 "C" uncle of the deceased, deposed that "A" told him that her husband and mother in law are not happy with dowry. He had met the deceased one day prior to the death. "A" started weeping and said that they (Accused) are giving trouble and harassing her.

PW-3 "D" deposed that he went to the deceased's home. He was informed that "A" was died due to illness and her dead body has been cremated. Then he come back and told to "B" that they have cremated "A" after murdering her.

PW-4 "E" independent witness who was present in Panchyat. He deposed that it was accepted by the deceased's father in law that they could not inform the death of "A" to the deceased's father "B".

Other witness of cremation have been declared hostile

Evidence for defence :-

Defence witness "F" stated that he is neighbour of the accused person. No ill treatment was given to the deceased "A" by her in-laws. He admitted that he was not present at the time of death of "A".

Arguments of Prosecutor :-

"A" died within the period of 07 years from the date of marriage. She was cremated without intimation to her parents. She was subjected to cruelty and harassment by her husband and mother in law soon before her death in the connection with demand of dowry. Oral evidence remains unchallenged in the cross-examination. Therefore offence is proved.

Arguments of Defence Counsel :-

PW-1 "B" in his deposition did not categorically stated that "A" was subjected to harassment in connection with demand of dowry. Father of accused "Z" had informed the death of "A" to her father. P.M. report or other documentary evidence is not on the record. Oral evidence of prosecution is not reliable. Therefore accused person can not be held guilty.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये -

अभियोजन का प्रकरण :-

अभियोजन का मामला यह है कि मृतिका "ए" का विवाह अभियुक्त 'जेड' के साथ घटना के दो वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह के समय मृतिका के पिता "बी" ने काफी पैसा खर्च किया, परन्तु अभियुक्त का परिवार "बी" द्वारा दिये गये दहेज से प्रसन्न नहीं था। "ए" को लगातार परेशान और प्रताड़ित किया गया। फिर भी उसे अपने ससुर के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। उसने (मृतिका के ससुर ने) मृतिका "ए" और उसके पिता "बी" को यह आश्वासन दिया था कि वह अपनी तरफ से यह देखेगा कि मृतिका को दहेज लाने के लिए परेशान न किया जाये।

"ए" ने अपने मायके में बच्चे को जन्म दिया। उसके पश्चात् वह अपनी ससुराल के घर में आई। घटना दिनांक 10.10.2013 को घटित हुई, उसके कुछ दिन पूर्व मृतिका के चाचा "सी" उसके घर आये। उसने उसके साथ उसके पति "जेड" व सास "एक्स" द्वारा दी गई प्रताड़ना के संबंध में शिकायत की। "सी" ने यह बात अपने भाई को बताई। दिनांक 11.10.2013 को उसका भतीजा "डी" किसी जगह जा रहा था, तब "बी" ने उसे अपनी लड़की के घर जाने के लिए कहा। "डी" मृतिका के घर गया। मृतिका के घर पहुंचने पर उसने मृतिका के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं दिया गया, परन्तु बाद में उसे यह बताया गया कि मृतिका की मृत्यु बीमारी की

वजह से हो गई और उसकी मृत देह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। "डी" वापस गांव आया और उसने "बी" को सूचना दी, तब "बी" मृतिका के गांव गया, वहां पंचायत बुलाई गई। अभियुक्त के परिवारजन ने अपनी यह गंभीर त्रुटि स्वीकार की कि उन्हें "बी" को उनकी लड़की की मृत्यु के बारे में सूचित करना चाहिए था। इस बात पर सहमति हुई कि कुछ भूमि मृतिका के पुत्र के नाम की जावेगी। दिनांक 13.10.2013 को "बी" द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में चालान पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :-

यह कहा गया कि कोई दहेज की मांग नहीं की गई। मृतिका बीमार थी और उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई। अभियुक्त "जेड" ने मृतिका के पिता को मृत्यु की सूचना दी थी, परन्तु वह नहीं आये। उसने कोई अपराध नहीं किया है और "एक्स" भी निर्दोष है।

अभियोजन की साक्ष्य :-

अभियोजन साक्षी क्र. 1 "बी"— मृतिका का पिता कहता है कि उसने अपनी लड़की की शादी के समय अपनी क्षमता से अधिक सामान दिया था, परन्तु "एक्स" और "जेड" दहेज की राशि से प्रसन्न नहीं थे इसलिए वे "ए" को परेशान करते थे। मृत्यु के एक दिन पूर्व उसका भाई "सी" मृतिका के घर गया था और उससे मिला था। उसे उसकी लड़की ने मारपीट और प्रताड़ना के संबंध में सूचित किया था। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करता है।

अभियोजन साक्षी क्र. 2 "सी"— मृतिका का चाचा कहता है कि "ए" ने उससे कहा था कि उसके पिता और सास दहेज से प्रसन्न नहीं हैं। वह मृतिका से मृत्यु के एक दिन पहले मिला था। "ए" ने रोना शुरू कर दिया था और कहा था कि वे उसे परेशान और प्रताड़ित करते हैं।

अभियोजन साक्षी क्र. 3 "डी"— कहता है कि वह मृतिका के घर गया था। उसे यह बताया गया था कि "ए" की मृत्यु बीमारी से हो गई और उसकी मृत देह का अंतिम संस्कार कर दिया गया तब वह वापस आया और उसने "बी" को यह बताया कि उन्होंने "ए" की हत्या कर उसे जला दिया है।

अभियोजन साक्षी क्र. 4 "ई"— स्वतंत्र साक्षी है जो पंचायत में उपस्थित था वह कहता है कि मृतिका के ससुर ने यह स्वीकार किया था कि वे "ए" की मृत्यु के संबंध में उसके पिता "बी" को सूचना नहीं दे सके।

अंतिम संस्कार के अन्य साक्षी विरोधी घोषित हुये हैं।

बचाव साक्ष्य :-

बचाव साक्षी "एफ" कहता है कि वह अभियुक्त का पड़ोसी है। मृतिका "ए" के साथ उसके ससुरालजन ने बुरा व्यवहार नहीं किया था। वह स्वीकार करता है कि वह "ए" की मृत्यु के समय उपस्थित नहीं था।

अभियोजक का तर्क :-

"ए" की मृत्यु विवाह की तारीख से सात वर्ष के अंदर हुई थी। उसका अंतिम संस्कार बिना उसके माता-पिता को सूचना दिये कर दिया गया था। मृतिका के साथ क्रूरता और प्रताड़ना मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति और सास द्वारा दहेज की मांग के संबंध में की गई थी। मौखिक साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अखंडित रही है। इसलिए अपराध साबित होता है।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :-

अभियोजन साक्षी क्र. 1 "बी" का कथन इस संबंध में क्रम से नहीं है कि "ए" के साथ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना की जाती थी। अभियुक्त "जेड" के पिता ने "ए" की मृत्यु की सूचना उसके पिता को दी थी। कोई पी.एम.रिपोर्ट अथवा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नहीं है। अभियोजन की मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है इसलिए अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
